न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 32 / 2022 निर्णय दिनांक:05.07.2024

ऑनलाईन नम्बर 2022 / 352

दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थिति:—

1. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम,1956 सपंधित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के पैतृक खातेदारी खेत खसरा नम्बर नये 18 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै०मु. कुंआ, खसरा नम्बर 19 रकबा 4.8600 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन 0. 1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 13.3500 हैक्टेयर रोही ग्राम सतासर में स्थित है । उक्त खसरान प्रार्थी के पिता पन्नेसिंह की खातेदारी के खेत रहें है। सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 की कार्यवाही में उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड संधारण करते समय प्रार्थी के पिता पन्नेसिंह पुत्र ....का नाम पन्नाराम पुत्र ....जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर ग्रामवासियों के बताये अनुसार रिकार्ड संधारणकर्ता द्वारा अंकित कर दिया गया जो गलत अंकित किया गया एवं इसी प्रकार प्रार्थी के पिता के देहान्त के उपरांत प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दीपसिंह पुत्र पन्नाराम जाति राजपूत (दरोगा) अंकित कर दिया गया जो कि गलत अंकित किया गया है, को प्रार्थना पत्र के जरिये सही करवाकर प्रार्थी अपना नाम वादगत खसरान के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सतासर अंकित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का वास्तविक एवं शुद्ध नाम दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सतासर हैं जो प्रार्थी के समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में अंकित है। एवं प्रार्थी को इसी नाम से जाना—पहचाना जाता है। प्रार्थी वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम व शुद्ध जाति दर्ज करवाना चाहता है जिसका कि वह अधिकारी है। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम व जाति शुद्ध दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही मानते हुए न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का खातेदार होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है । प्रार्थी ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का निवासी हैं एवं वादगत खेत ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फिस पर अन्दर मियांद प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा नम्बर नये 18 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुंआ, खसरा नम्बर 19 रकबा 4.8600 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 13.3500 हैक्टेयर रोही ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के अशुद्ध नाम व जाति दीपसिंह पुत्र पन्नाराम जाति राजपूत (दरोगा) की जगह रिकार्ड दुरूस्त कर प्रार्थी की वास्तविक एवं शुद्ध जाति व नाम दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। स्टेट की ओर से बहस करते हुए पैरोकारराज ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में श्री दीपसिंह पुत्र पनाराम जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर दर्ज है जबकि गांव में पूछ–ताछ करने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम श्री दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह है। श्री दीपसिंह पुत्र पनाराम व श्री दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह एक की व्यक्ति के नाम है। श्री दीपसिंह पुत्र पनाराम का नाम श्री दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह शुद्ध किया जाता है तो आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रार्थी की जाति राजस्व रिकार्ड अनुसार सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में जाति दरोगा दर्ज रिकॉर्ड है व प्रार्थी की वास्तविक जाति दरोगा है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर साक्ष्य के रूप में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015 पेश कर निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 की कार्यवाही में उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड संधारण करते समय प्रार्थी का नाम दीपसिंह पुत्र पनाराम जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर अंकित कर दिया गया जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2015 में प्रार्थी का नाम दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर स्टेट की ओर से कोई आपति पेश नहीं की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा नम्बर नये 18 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुंआ, खसरा नम्बर 19 रकबा 4.8600 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 13.3500 हैक्टेयर रोही ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के अशुद्ध नाम व जाति दीपसिंह पुत्र पन्नाराम जाति राजपूत (दरोगा) की जगह रिकार्ड दुरूस्त कर

3

खण्ड अधिकारी
डूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

प्रार्थी की वास्तविक एवं शुद्ध जाति व नाम दीपसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested